भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2482

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

संविदा मजदूरों को भुगतान

2482. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारखाने और ठेका मजदूरों को मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत भुगतान चेक के माध्यम से मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ताप विद्युत केन्द्र, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में काम करने वाले संविदा मजदूरों को चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को (क) नकद अथवा (ख) चैक अथवा (ग) उनके बैंक खातों में राशि जमा करके वेतन का भुगतान करने में समर्थ बनाने हेतु मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम,2017 (28.12.2016 से प्रभावी) द्वारा मजदूरी संदाय अधिनियम,1936 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम में यह संशोधन समुचित सरकार को किसी औद्योगिक अथवा अन्य प्रतिष्ठान को, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करने में भी समर्थ बनाता है जिसके द्वारा औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठान अपने वहां नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को वेतन का भुगतान केवल चैक अथवा उसके बैंक खाते में राशि जमा करके कर सकेंगे।

केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में किसी कर्मचारी के वेतन को केवल चैक द्वारा अथवा उसके खाते में राशि जमा कर भुगतान करने का प्रावधान दिनांक 26.04.2017 को अधिसूचित किया गया है।

(ख) से (घ): महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, थर्मल पॉवर स्टेशन, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में संविदा श्रमिकों को भुगतान चैकों के माध्यम से किया जाता है। चंद्रपुर श्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं कि श्रमिकों को वेतन भुगतान चैक के माध्यम से किया जाता है।

******